कानूनी सहायता और आप

1 कानूनी (विधिक) सहायता क्या है?

कानूनी सहायता का अर्थ उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना है जो अदालत, कचहरी, अथवा प्राधिकरण के समक्ष अपना मुकदमा लड़ने के हेतू निजी वकील की सेवा लेने में असमर्थ हैं।

2 क्या कैदी को कानूनी सहायता का अधिकार है?

विधिक सेवा प्रधिकरण अधिनियम 1987 के अनुच्छेद 12 (जी) के अनुसार प्रत्येक कैदी को निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है।

3 निःशुल्क विधिक सहायता कहां से प्राप्त की जा सकती है?

निम्न स्थानों से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है:

1. जिस मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश किया गया है, या
2. करावास की अवस्था में, अभिरक्षा अधिकारी, या
3. मंडल अथवा तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नामांकित मुख्य सिविल न्यायाधीश,या
4. स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण सचिव, या जिला स्तर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
5. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, या
6. राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति सदस्य सचिव, या
7. उच्चतर स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति सचिव।

4 विधिक सहायता के तहत कौन सी सेवाएं दी जाती हैं?

1. कानूनी जानकारी उपलब्ध कराना
2. मुकदमें की पैरवी (जमानत विचारण या अपील) के लिए वकील की सेवा,
3. अदालती शुल्क एवं कानूनी प्रक्रिया से संबंधित अन्य शुल्क,
4. कानूनी कार्यवाही की तैयारी, ड्राफ्टिंग एवं याचिका दायर करने में आने वाले व्यय का भुगतान,
5. कानूनी सलाहकार एवं पेशेवर की फीस का भुगतान,
6. अदालती हुक्म, फैसला और आदेश की प्रति प्राप्त करने में होने वाला व्यय का भुगतान,
7. अनुवाद, छपाई आदि कार्यों में आने वाले व्यय का भुगतान।

5 विधिक सेवा के लिए आवेदन कैसे करें?

1. उपरोक्त उल्लेखित संबंधित अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन कर विधिक सेवा प्राप्त की जा सकती है
2. ऐसी अवस्था में जहां व्यक्ति लिख-पढ़ नहीं सकता/सकती तब विधिक सेवा अधिकारी बयान को रिकार्ड कर अंगूठे का निशान ले सकता है। इसे लिखित आवेदन माना जाएगा।

6 कानूनी सहायता कौन प्रदान करता है?

कानूनी सहायता विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदान करता है:

तालुका स्तर पर:

1. उप-मंडल विधिक सेवा प्राधिकरण (एस.डी.एल.एस.ए)/ तालुका विधिक सेवा समिति (टी.एल.एस.सी)

जिला स्तर पर:

2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए)

राज्य स्तर पर:

3. राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण (एस.एल.एस.ए) और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एच.सी.एल.एस.सी)

राष्ट्रीय स्तर पर:

4. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए) और सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (एस.सी.एल.एस.सी)

7 विधिक सहायता प्राप्तकर्ता द्वारा ध्यान रखे जाने योग्य बिंदु

1. विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा बताए गए दिशानिर्देश को मानना,
2. अपने वकील को पूर्ण सत्य से अवगत करवाना,
3. अपने विधिक सहायता अधिवक्ता को किसी भी प्रकार की फीस या खर्च का भुगतान न करना,
4. परिवारजन विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा समिति के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

8 कानूनी सहायता मुहैया कराने में पुलिस और अदालत का दायित्व क्या हैं?

1. आरोपी को वकील नियुक्त करने के संवैधानिक अधिकार के बारे में सूचित करने का पुलिस का दायित्व।
2. पेशी/सुनवाई के समय आरोपी से यह पूछने का अदालत का दायित्व कि उसके पास वकील है या नहीं, और अगर आरोपी का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा नहीं किया जा रहा हो तो तुरंत उसके लिए राज्य के खर्चे पर वकील नियुक्त करना।

COMMONWEALTH HUMAN RIGHTS INITIATIVE
55 A, Third Floor, Siddhartha Chambers-1, Kalu Sarai,
New Delhi - 110016 **Tel:** 91-11-43180200 **Fax:** 91-11-43180217
E-mail: info@humanrightsinitiative.org
Website: www.humanrightsinitiative.org

ROTARY CLUB OF CALCUTTA YUVIS

Rotary

(RID 3291)